

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्त्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



जसवीर अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

हरण संख्या :- 400/2023

द पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

जसवीर सिंह पुत्र स्व. सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
प्रीतपाल सिंह पुत्र स्व. सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
जसविन्द्र सिंह पुत्र स्व. सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

बनाम

वादीगण

- सतपाल कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- परमजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- पोकर पुत्र केवल राम जाति सुनार निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- कुलदीप हिंस पुत्र सुखमहेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- गुरजन्त सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- दर्शन सिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- सिकन्दर सिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- हरदम सिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- मनिन्द्र कौर पत्नी गुरछविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- हरविन्द्र कौर पत्नी हरदीश सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- सुखमणी कौर पुत्री गुरछविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- रामअंश सिंह पुत्र गुरछविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- सोहन सिंह पुत्र रूड सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- मिट्टू सिंह पुत्र रूड सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- मोहन सिंह पुत्र रूड सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- अमीचन्द जसवन्त जाति जटसिख निवासी बीकानेर तह.व जिला बीकानेर।
- मोतीराम पुत्र हिम्मताराम जटसिख निवासी बीकानेर तह.व जिला बीकानेर।
- ताजुमल पुत्र बंसामल जटसिख निवासी बीकानेर तह.व जिला बीकानेर।
- इन्द्रप्रीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरियां
- भारतीय स्टेट बैंक शाखा ढाबा जरिये शाखा प्रबन्धक
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 12.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्रीमिन जानिब मुदायला
पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री
निम्नानुसार दी जाती है:-

- सुखदेव सिंह (फौत) कब्जा काश्त वारिसान प्रितपालसिंह, जसवीर सिंह, जसविन्द्र सिंह पि. सुखदेव सिंह,
सतपालकौर, परमपालकौर पुत्रीयां सुखदेवसिंह जाति जटसिख सा.ढाबा की कब्जा काश्त भूमि :-

चक 1 बीजीपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
220/141	61	17,18/0.253 है.प्र. 25/1/0.228 है. 25/ 2/0.025 है.गै.मु.रास्ता
220/142	66	5/1/0.228, 5/2/0.025 है.गै.मु.रास्ता
221/141	62	21/0.253 है.
221/142	65	1/0.253 है.

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तहसीलदार संगरिया की अनुशंभा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दे जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/234 दिनांक 26.12.2025 द्वारा मृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि क हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद दिया जावे।

मृत :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....17.3.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया